रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 201]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

का.आ. 225(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1937 (अ), तारीख 09.08.2010 द्वारा मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 (नया रारा–6) के 0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. (जोरबाट–शिलांग(बारपानी) सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु तारीख 5 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838, (अ), द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं तथा उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 तथा सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220 (अ) 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सड़क खण्ड की निबल लम्बाई 55.8184 कि.मी. [0.1616 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक) को छोड़कर और समकक्ष लम्बाई 1.616 कि.मी.] के लिए चार लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 100% पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा 01 बाइपास जिसकी लम्बाई 5.86 कि.मी. है, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आधार दर के 150% की दर पर असम और मेघालय राज्य में रारा–40 के 0.000 कि.मी. से 61.840* कि.मी. तक जोरबाट–शिलांग (बारापानी) सेक्शन के उपयोग के लिए, शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकर के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

*परियोजना का समापन चैनेज अर्थात् 61.840 कि.मी. अधिसूचना ककाआ. 1937 (अ), तारीख 09.08.2010 द्वारा भाराराप्रा को सौंपे गए रारा का समापन चैनेज के वही अर्थात् 61.800 कि.मी. है।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–40 के री–भोइ जिले में पाहम मावलिन गांव के पास 13.550 कि.मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 13.750)	55.8184 (नीचे पैरा–3 में दी गई सड़क पर 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली 0.1616 कि.मी. की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 01 बाइपास जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की कुल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और नाम जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–40 के री–भोइ जिले में पाहम मावलिन गांव के पास 13.550 कि.मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 13.750)	रारा–40 के 48.090 कि.मी. से प्रारम्भ करके मिलन चैनेज 53.950 कि.मी. पर उमसिंग बाइपास	5.86	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–40 के री–भोइ जिले में पाहम मावलिन गांव के पास 13.550 कि.मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 13.750)	0.1616 कि.मी.	1.616	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लम्बाई	0.1616	1.616	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी. में)		लम्बाई (कि.मी. में)
	से	तक	
1.	6.9181	7.0797	0.1616
कुल			**0.1616**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7.. अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए ऐसे वाहन के प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता।

8. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियम में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार उसे अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1372.40 करोड़ रुपए है। (एक हजार तीन सौ बहत्तर करोड़ चालीस लाख रुपए मात्र) है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण जन–उपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई आदि जैसे कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना बाकी है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग–से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत भी वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40%: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/734/सीओ/15–16/जीसी–जोरबाट–षिलांग (0.00–61. 840) वार्षिकी]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd Jaunary, 2016

S.O. 225(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1937 (E) dated 09.08.2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 61.800 (Jorbat-Shillong (Barapani) Section) of National Highway No. 40 (Now NH-6) in the State of Meghalaya to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide Notification No. G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008, and amended vide Notification Nos. G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R. 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 G.S.R. 831(E) dated

21st November, 2014 and G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in columns (2) in Table 1 for net road section length of 55.8184 km [excluding 0.1616 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.616 km] (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four lanning sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and 01 bypass having a length of 5.86 Km. at 150% of the base rates specified in column-2 of Table-1 below for the use of Jorbat-Shillong (Barapani) section of NH-40 from Km. 0.000 to Km. 61.840* in State of Assam and Meghalaya and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

*End chainage of the project i.e Km. 61.840 is same as end chainage of the NH entrusted to NHAI i.e Km. 61.800 vide notification S.O 1937(E) dated 09.08.2010.

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 13.550 (design ch.) (existing ch. 13.750), near village Paham Mawlein in Ri-Bhoi district) of NH-40	55.8184 (Excluding 0.1616 Km. length of structure >60 m on road Para-3 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the 01 bypass costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza for net bypass length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable Length (in Km.)	Rate at which fee is payable
At km 13.550 (design ch.) (existing ch. 13.750), near village Paham Mawlein in Ri-Bhoi district) of NH-40	Umsning Bypass taking off at Km. 48.090 and merging chainage is Km. 53.950 of NH-40.	5.86	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 13.550 (design ch.) (existing ch. 13.750), near village Paham Mawlein in Ri-Bhoi district) of NH-40	0.1616 Km.	1.616	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total length	0.1616	1.616	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage (in Km.)		Length (in Km.)
	From	To	
1	6.9181	7.0797	0.1616
Total			0.1616

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1372.40 Crore (Rupees One thousand three hundred Seventy two crore and forty lakh only). The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/734/CO/15-16/GC- Jorbat-Shillong (0.00-61.840) Annuity]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.